

कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ
अल्पकालीन निविदा सूचना सं०- 02/2025-26

1.	विभाग का नाम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2.	विज्ञापन दाता का नाम पता	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ
3.	परिमाण बिक्री के आरंभ की तिथि	30.06.2025 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से
4.	परिमाण विपन्न की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 07.07.2025 को अपराह्न 05.00 बजे तक कार्य अवधि में।
5.	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	08.07.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे
6.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	08.07.2025 को अपराह्न 12.15 बजे

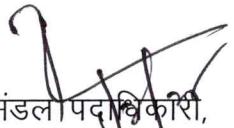
नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में विश्वशांति स्तूप एवं गृद्धकुट पर्वत जाने वाले की सुविधा हेतु राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित 01 दुकानों के संचालन हेतु दिनांक-30.06.2025 से निविदा आमंत्रित की जाती है :

क्र० सं०	निविदा का विवरण	अग्रधन की राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
	नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित 01 दुकान के संचालन हेतु।		
1	Shop No. 18/IBS (Approx Size 97 Sqft)	रु. 15000/-	रु. 600/-

नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में पर्यटकों के सुविधा हेतु इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित 01 दुकान (Shop), दुकान का क्षेत्रफल ऊपर तालिकावद्ध की गयी है, के संचालन हेतु इच्छुक प्रतिष्ठानों से प्रत्येक दुकानों के लिए अलग-अलग सील बन्द निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक 08.07.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय कक्ष में आमंत्रित की जाती है। निविदाओं के लिये दिनांक-07.07.2025 को अपराह्न 05.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में या विभागीय बेवसाईट <https://state.bihar.gov.in/forest> के माध्यम से रु० 600/- (छः सौ रुपये) मात्र का भुगतान कर विहित प्रपत्र (निविदा फार्म) प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के साथ अग्रधन के रूप में दुकान संचालन हेतु रुपये 15000/- का बैंक ड्राफ्ट, तथा विभागीय बेवसाईट से निविदा फार्म प्राप्त करने के परिस्थिति में 600/- (छः सौ रुपये) का बैंक ड्राफ्ट Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif /वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदनाम से बिहारशरीफ स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतान हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। दुकान संचालन के लिये निविदादाता को 'तकनीकी निविदा' तथा 'वित्तीय निविदा' दो अलग-अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद कर समर्पित करना होगा। सफल निविदादाता का चयन अधिकतम दर के आधार

पर किया जायेगा एवं सफल निविदादाता को दुकान तीन वर्ष के लिए संचालन हेतु आवंटित की जायेगी।

अधिक जानकारी प्राप्त करने या निविदा प्रपत्र के क्रय हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय से अथवा <https://state.bihar.gov.in/prdbihar/CitizenHome.html> पर देखा जा सकता है।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।
श. 

नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में विश्वशांति स्तूप एवं गृद्धकुट पर्वत जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित 01 दुकान के संचालन हेतु निविदा की शर्तें :—

नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में राजगीर रज्जू मार्ग के पास, नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में, विश्वशांति स्तूप एवं गृद्धकुट पर्वत जाने वाले पर्यटकों के जलपान हेतु खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने के लिये इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित दुकानों (जो जहाँ है, जिस रूप में है) के संचालन के लिए इस कार्य में अनुभवी फर्म/संचालकों से सीलबंद निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक-08.07.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय कक्ष में आमंत्रित की जाती है। निविदा संख्या 02/2025-26 का निविदा प्रपत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय से निर्धारित तिथि तक कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है। निविदा संख्या 02/2025-26 की तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें दिनांक-08.07.2025 को अपराह्न 12.15 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में, सभी निविदाओं को निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी।

1. निविदादाता द्वारा दुकान संचालन हेतु निविदा (प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निविदा) समर्पित की जायेगी। निविदादाता 'तकनीकी निविदा' तथा 'वित्तीय निविदा' दो अलग-अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी निविदा के लिफाफे पर "तकनीकी निविदा" तथा उस पर अपना नाम-पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 02/2025-26 एवं दुकान संख्या अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय निविदा' के लिफाफे पर "वित्तीय निविदा" लिखकर अपना नाम-पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 02/2025-26 तथा दुकान संख्या अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के दोनों सील बंद लिफाफे रहेंगे पर "दुकान" संचालन के लिए निविदा" एवं निविदा का विज्ञापन संख्या अंकित कर दुकान संख्या एवं अपना नाम-पता अंकित करेंगे। तकनीकी निविदा में तकनीकी निविदा फार्म, निविदा शर्तों के अनुपालन हेतु वांछित स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज, निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद, तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे तथा अपना नाम एवं पता अंकित किया जाएगा।
2. वैसे निविदादाता जिनके द्वारा निविदा प्रपत्र वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड किया जायेगा उन्हें निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 600/- रुपये का डी.डी. तैयार कर संबंधित निविदा के तकनीकी निविदा में संलग्न करते हुए कंडिका-1 में अंकित दिशा-निर्देशानुसार निविदा विवरणी एवं अपना नाम, पता आदि अंकित किया जाएगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में दुकान संचालन हेतु रु० 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो (Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif)/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदनाम से बिहारशरीफ स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतये हो (संबंधित बैंक ड्राफ्ट निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 15 दिनों तक वैध हो), संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. बिना प्रपत्र क्रय शुल्क/अग्रधन के प्राप्त होने वाले तकनीकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यह निविदा सामग्री क्रय के लिए नहीं है। यह निविदा दुकान आवंटन (अधिकत अर्पित दर) से संबंधित है। अतएव इस निविदा में प्रपत्र क्रय शुल्क/अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि में किसी प्रकार की कोई छूट (एम.एस.एम.ई. तथा स्टार्टअप को वरीयता नीति अन्तर्गत) दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
5. निविदादाता का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा एवं निविदा में स्थायी निवासी होने का प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। निविदादाता फर्म/कंपनी होने की स्थिति में संबंधित फर्म/कंपनी का कार्यालय बिहार राज्य अन्तर्गत होना अनिवार्य होगा तथा उससे संबंधित प्रमाण-पत्र निविदा प्रपत्र में संलग्न करना होगा।
6. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदाशर्तों के अनुसार, प्रत्येक निविदादाता केवल एक ही दुकान के लिए निविदा समर्पित कर सकते हैं। दुकानों (आकार-प्रकार, साईज इत्यादि) से संबंधित जानकारी निविदा प्रपत्र के अनुलग्नक-1 में दी गई है।
7. एक निविदादाता द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित दुकानों में से केवल किसी एक ही दुकान के लिए निविदा में निहित सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए निविदा में भाग ले सकेंगे। तथा यह भी आश्वस्त करेंगे कि उनके निकट संबंधी, भाई, पुत्र, पत्नी इत्यादि द्वारा अन्य दुकान के लिए निविदा में भाग नहीं लिया गया है एवं इससे संबंधित स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र (अनुलग्नक-04 में संलग्न) भी निविदा में समर्पित करेंगे। निविदा शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित निविदादाता के निविदा को बिना किसी पृच्छा के अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
8. निविदा शर्तानुसार निर्धारित समय सीमा के बाहर/विलम्ब से या अन्य माध्यम से अथवा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. प्राप्त निविदायें दिनांक-08.07.2025 को अपराह्न 12.15 बजे वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय कक्ष में सभी निविदाओं को निविदाता की उपस्थिति में निम्नांकित शर्तों के आधार पर खोली जायेगी :
 - तकनीकी निविदा का मुल्यांकन निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थल पर ससमय की जायेगी। अतएव निविदा की तकनीकी निविदा के मुल्यांकन के समय निविदादाता उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। निविदा समिति द्वारा उन्हीं निविदाओं को खोला जायेगा, जिनके निविदादाता या कंपनी रहने की स्थिति में उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में संबंधित निविदादाता के निविदा को बिना कारण रद्द कर दिया जायेगा।
 - निविदा मुल्यांकन के समय निविदा में अगर कोई दस्तावेज कम पाया जाता है तो उससे संबंधित दस्तावेजों को निविदा मुल्यांकन के समय स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं उनके द्वारा समर्पित निविदा को रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा।
 - जिन निविदादाताओं द्वारा निविदा के सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा केवल उन्हीं निविदादाता के निविदा को स्वीकृत किया जायेगा। निविदाशर्तों के अनुसार निविदा नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित निविदादाता के निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
 - व्यक्तिगत निविदादाता केवल स्वयं ही, वैद्य पहचान-पत्र के साथ निविदा में भाग लेंगे। तथा किसी अन्य व्यक्ति को निविदा में भाग लेने हेतु प्राधिकृत नहीं करेंगे।
 - निविदा में भाग लेने हेतु कंपनी, हिन्दु अविभाजित परिवार, साझेदार, फर्म, एल.एल.पी., ट्रस्ट, एशोसियेशन से संबंधित निविदादाता बोर्ड सदस्य, ट्रस्ट सदस्य या अपने साझेदार द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र, नोटरी से प्राप्त कर समर्पित करेंगे।
 - निविदा में भाग लेने हेतु प्रोपराईटर का पहचान-पत्र तथा भाग लेने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र, नोटरी से प्राप्त कर संगठन की ओर से समर्पित करेंगे।

10. निविदादाता को आयकरदाता होने का प्रमाण—पत्र (पैन कार्ड) एवं विगत दो वर्षों यथा (Financial Year 2022—23 एवं 2023—2024) का वार्षिक रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
11. निविदादाता को जी०एस०टी० के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए। निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन दो तिमाही (अक्टूबर से दिसम्बर एवं जनवरी से मार्च) की अद्यतन रिटर्न की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। जी.एस.टी. पंजीकरण से छूट हेतु अनुलग्नक-02 के अनुसार जी.एस.टी. पंजीकृत नहीं होने का स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा।
12. निविदादाता द्वारा निविदा में किये जाने वाले हस्ताक्षर को किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये हस्ताक्षर का नमूना (अनुलग्नक-06 के अनुसार) आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।
13. सफल निविदादाता को रु० 1000/—(एक हजार रुपये मात्र) मूल्य के नन्-जुडिसियल (Non-Judicial) स्टाम्प जमा कर एकरारनामा करना होगा जिसमें दुकान संचालन की सभी शर्तों का उल्लेख होगा।
14. सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदादाता का नाम/फर्म दर्ज नहीं होने से संबंधित घोषणा-पत्र (100/— के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्राप्त) (अनुलग्नक-03 के अनुसार) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन, दुकान के लिए निविदादाताओं द्वारा अर्पित दर, प्रतिमाह किराया दर में, अधिकतम अर्पित दर के आधार पर तय किया जाएगा।
16. निविदा में निविदादाता का चयन उच्चतम अर्पित दर के आधार पर किया जायेगा। तथा आर.पी. दर से अर्पित दर कम होने की परिस्थिति में आर.पी. दर पर ही दुकान का आवंटन सफल निविदादाता को किया जायेगा। निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित दुकानों के लिए अर्पित दर कम करने के उद्देश्य से आपसी मिलिभगत/तालमेल कर समर्पित किये जाने की सूचना, निविदा समिति को प्राप्त होती है तो तत्काल प्रभाव से उनके निविदा को निरस्त करने की कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अग्रधन एवं जमानत के तौर पर समर्पित राशि तथा दुकान में रखे सामानों को जप्त करते हुए राज्यसात करने तथा कालीसूची में अंकित करने की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए संबंधित निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।
17. वित्तीय निविदा में एक से अधिक निविदादाता द्वारा समर्पित अधिकतम दर अगर समान पाया जाता है तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा समर्पित दर को अमान्य मानते हुए निविदा समिति के समक्ष ही उक्त दुकान के लिए संबंधित निविदादाता द्वारा पुनः निलामी की प्रक्रिया के अधीन बोली लगायी जायेगी एवं जिन निविदादाता द्वारा संबंधित दुकान हेतु अधिकतम बोली लगायी जायेगी, उन्हें दुकान संचालन हेतु सफल निविदादाता घोषित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
18. निविदा पर निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् सफल निविदादाता द्वारा बेचे जाने वाले सामाग्रियों की विवरणी (दर सहित) को वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। सामाग्रियों के दर पर अनुमति के उपरांत सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि से दुकान का संचालन शीघ्र प्रारंभ करना होगा। बिना किसी कारण के सफल निविदादाता द्वारा दुकान संचालन प्रारंभ करने में विलंब किये जाने की स्थिति में निविदादाता द्वारा अर्पित प्रतिभूति राशि जप्त कर निविदादाता को कालीसूची में डाल दिया जायेगा और द्वितीय निविदादाता से Shops संचालन कराने की कार्रवाई की जायेगी।
19. सफल निविदादाता केवल अनुलग्नक-05 में सूचीबद्ध व्यवसाय ही संचालित कर सकेंगे। यदि सफल निविदादाता अनुलग्नक-05 में निर्दिष्ट व्यवसाय के अलावा अन्य व्यवसाय संचालित करना चाहते हों, तो वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ से अनुमति प्राप्त करना

अनिवार्य होगा। अनुमति प्राप्त होने उपरांत ही संबंधित व्यवसाय संचालन करेंगे। अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

20. जमानत/प्रतिभूति जमा राशि :- सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि के रूप में 3 (तीन) माह का किराया जमानत राशि के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डी.सी.आर./एफ.डी. आर/बैंक गारण्टी वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ के पदनाम से Pledged कराकर जमा करना होगा। यदि सफल निविदादाता शर्तों के अनुकूल सफलतापूर्वक एकरारनामा की अवधि तक कार्य करते हैं तो उन्हें एकरारनामा अवधि समाप्त होने पर जमा जमानत राशि वापस कर दिया जायेगा। यदि एकरारनामा अवधि में शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो, निविदादाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि एवं जमानत की राशि को राज्यसात कर दिया जाएगा।
21. सफल निविदाकर्ता को प्रत्येक माह के 10 (दस) वीं तारीख तक अग्रिम मासिक किराया वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, राजगीर के कार्यालय में जमा करना होगा। 10 वीं (दस) तारीख तक निर्धारित मासिक किराया जमा नहीं करने की स्थिति में मासिक किराया का 3% (तीन प्रतिशत) वृद्ध्यात्मक शुल्क जोड़कर भुगतान करना होगा। लगातार तीन माह तक किराया (3% वृद्ध्यात्मक शुल्क सहित) जमा नहीं करने पर जमानत की प्रतिभूति राशि राज्यसात करते हुये उनके निविदा को रद्द कर उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा, साथ ही साथ दुकान में रखे सारे सामानों को भी जप्त कर लिया जायेगा। शेष राशि की वसूली के लिए उनपर विधिवत् कार्रवाई की जायेगी। किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ को सुरक्षित होगा।
22. सफल निविदादाता को दुकान तीन वर्षों के लिए संचालन हेतु आवंटित की जायेगी। तदोपरांत उनका कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में अगले दो वर्षों के लिए निविदादाता द्वारा अर्पित अधिकतम दर प्रतिमाह किराया के 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ (प्रत्येक वर्ष) अवधि विस्तार किये जाने पर विचार किया जायेगा।
23. सफल निविदादाता को दुकान आवंटन हेतु किये गये एकरारनाम की अवधि समाप्त होने पर संचालक द्वारा 15 दिनों के अंदर आवंटित दुकान खाली करना होगा। बिलम्ब की स्थिति में अग्रधन एवं जमानत के रूप में जमा राशि के साथ-साथ संबंधित दुकान में रखे सामानों को जप्त करते हुए संबंधित दुकान संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
24. अगर किसी सफल निविदादाता द्वारा एकरारनामा उपरांत आवंटित दुकान खाली करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में उन्हें कम से कम छः माह दुकान संचालन उपरांत ही खाली करने का प्रावधान होगा तथा तीन माह पूर्व दुकान खाली करने संबंधी सूचना वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, राजगीर के कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
25. निविदादाता द्वारा दुकान संचालन कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति/पर्यटकों द्वारा दुकानों में सामग्रियों के विरुद्ध/क्रम में शिकायत प्राप्त होने पर समय अवधि (दुकान संचालन हेतु किये गये एकरारनामा की अवधि) के बीच में ही उनके निविदा को निरस्त करने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा को सुरक्षित होगी।
26. विद्युत बिल का भुगतान—सफल निविदादाता को किराया के साथ-साथ विद्युत उपयोग का भुगतान भी अलग से देना होगा। विद्युत बिल का भुगतान मीटर रीडिंग के अनुसार व्यवसायिक दर पर होगा।
27. सामग्रियों की बिक्री संबंधित दुकान परिसर तक ही सीमित रहेगी। सामग्रियों की बिक्री का समय इंटीग्रेटेड भवन खुलने और बंद होने के बीच रहेगा। इंटीग्रेटेड भवन को बन्द होने के बाद एवं सप्ताहिक बन्दी के दिन किसी प्रकार की सामग्री की बिक्री नहीं की जाएगी। अगर इंटीग्रेटेड भवन

को अन्य दिन भी बन्द रखा जाता है, तो उस दिन भी दुकान का संचालन बन्द रखना होगा जिसके लिए नालन्दा वन प्रमण्डल द्वारा किसी प्रकार की छुट नहीं दी जाएगी। सफलतम निविदादाता को दुकान संचालन हेतु सामग्री दुकान इंटीग्रेटेड भवन ले जाने के लिए पर्यटकों की सुविधा के अनुसार एक निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा, उसी समय में सामग्री दुकान में लाया जा सकता है।

28. **निविदा रद्दीकरण :-** सफल निविदादाता द्वारा एकरारनामा की शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति, दुकान संचालन एवं सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी या दर्शकों से अधिक मूल्य की वसूली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत अथवा दुकान संचालन से इंटीग्रेटेड भवन पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना होने पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल बिहारशरीफ किसी भी समय नोटिस देकर निविदा रद्द करने की कार्रवाई कर सकते हैं। निविदा रद्द होने की स्थिति में सफल निविदादाता को किसी प्रकार का क्षतिपूरक राशि विभाग/सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।
29. दुकान में किसी प्रकार का मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। दुकान-संचालक द्वारा किसी प्रकार का निषिद्ध पेय एवं खाद्य पदार्थ को न तो रखा जायेगा और न ही बेचा जायेगा। बेचे जाने वाले किसी भी सामग्री को सूची से हटाने/जोड़ने का अधिकार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल बिहारशरीफ को होगा।
30. इंटीग्रेटेड भवन तथा सामग्रियों से संबंधित, समय-समय पर निर्गत सरकारी आदेशों का अनुपालन, निविदादाता के लिए अनिवार्य होगा।
31. दुकान के आस-पास की जगह को हमेशा साफ-सुथरा रखना होगा। दुकान संचालक को बचा हुआ एवं अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ का निपटारा करना होगा। अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ को किसी भी परिस्थिति में एकीकृत भवन तथा वनक्षेत्रों के अन्दर निपटारा नहीं किया जायेगा।
32. दुकान संचालक द्वारा बेचे जाने वाले सभी सीलबन्द सामग्रियों को निर्धारित एम.आर.पी. पर ही बेचना होगा।
33. दुकान में किसी प्रकार का शोर-शराबा, हल्ला गुल्ला एवं संगीत प्रतिबंधित रहेगा तथा पार्क/सफारी परिसर में धुम्रपान एवं प्लास्टिक बैग का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
34. निविदादाता/संचालक द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन एवं लापरवाही बरतने पर प्रत्येक उल्लंघन/लापरवाही पर दस हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाने का अधिकार वन प्रमण्डल पदाधिकारी को होगा।
35. दुकान में अन्य किसी प्रकार की सुविधा वन प्रमण्डल पदाधिकारी के अनुमति से ही उपलब्ध करायी जा सकेगी।
36. किसी भी निविदा को, किसी भी समय, स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल बिहारशरीफ को सुरक्षित रहेगा।
37. निविदा प्रपत्र में निविदादाता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़ावाया और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए सभी पृष्ठों पर अपना हस्ताक्षर (मुहर सहित) करेंगे।
38. सफल निविदादाता द्वारा अर्पित उच्चतम मासिक किराये का तीन गुणा राशि, चयन सूचना निर्गत होने के 10 दिनों के अंदर संबंधित राशि का बैंक गारण्टी/फिक्स डिपोजिट के रूप में समर्पित करना होगा (नहीं करने की स्थिति में संबंधित निविदादाता को आवंटन हेतु चयनित दुकान संबंधित निविदादाता को हस्तगत नहीं कराया जायेगा एवं उसके निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा)। जमानत की राशि जामा होने के फलस्वरूप दुकान आवंटन से संबंधित एकरारनामा करते हुए दुकान हस्तगत कराने की कार्रवाई की जायेगी।

39. निविदादाता को संचालन हेतु आवंटित दुकान का संचालन केवल सफल निविदादाता द्वारा ही किया जायेगा। उनके द्वारा संचालन हेतु किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। पाये जाने पर संचालन हेतु किये गये एकरारनामे को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।
40. विकट परिस्थितियों में निविदादाता अपने पारिवारिक सदस्यों (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री इत्यादि) द्वारा संचालन के लिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, राजगीर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संचालन हेतु दिया सकेगा।
41. वित्तीय निविदा का मुल्यांकन नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के प्रमण्डलीय कार्यालय अन्तर्गत दिनांक-08.07.2025 को अपराह्न 01.00 बजे होगा। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पास निविदा के तिथि एवं समय में अनिर्दिष्ट कारण के बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित होगा। निविदा से संबंधित जानकारी एवं हुए बदलाव की सूचना दैनिक सामाचार पत्रों के माध्यम से निविदादाताओं को उपलब्ध करायी जायेगी। अतएव निविदादाता निविदा से संबंधित अद्यतन जानकारी हेतु दैनिक सामचार पत्रों से अद्यतन रहेंगे।
42. वैसे निविदादाता जिनके तकनिकी निविदा को, निविदा समिति द्वारा सफल घोषित किया जायेगा केवल उसी निविदादाता के वित्तीय निविदा को, वित्तीय मुल्यांकन हेतु चयन करते हुए अग्रेतर कार्रवाई किया जायेगा।
43. वित्तीय निविदा में वैसे निविदादाता जिनके तकनिकी निविदा को निविदा समिति द्वारा सफल घोषित किया गया हो, को ही वित्तीय निविदा में सम्मिलित होने दिया जायेगा।
44. एक दुकान के लिए कम से कम दो निविदादाताओं को तकनिकी निविदा में सफल होना अनिवार्य है। तकनिकी निविदा में कम से कम दो निविदादाताओं के सफल नहीं होने की स्थिति में संबंधित दुकान का वित्तीय निविदा नहीं खोला जायेगा एवं संबंधित दुकान का निविदा निरस्त करते हुए पुनः नये रूप से निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।
45. निविदादाता द्वारा उनके निविदा में समर्पित कोई भी दस्तावेज गलत होने की सूचना प्रकाश में आना संबंधित निविदादाता के निविदा को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
46. निविदादाता द्वारा समर्पित प्रस्ताव, दिनांक 08.07.2025 (तकनिकी निविदा खुलने की तिथि) से 180 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा। इस वैधता अवधि के दौरान, निविदादाता अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता या उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। इस वैधता अवधि के समाप्त होने से पहले प्रस्ताव को वापस लेने का कोई भी प्रयास करने पर अग्रधन राशि (ईएमडी) जब्त हो जाएगी और बोलीकर्ता को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से काली सूची में डाला जा सकता है।
47. निविदा में भाग लेने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी परिस्थिति में निविदा का मुल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना एक-दूसरे से अदान-प्रदान नहीं करेंगे। सूचना अदान-प्रदान से संबंधित सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित निविदादाता के निविदा को निरस्त करते हुए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
48. तकनिकी निविदा में वित्तीय निविदा से संबंधित कोई भी दस्तावेज/सूचना संधारित नहीं की जायेगी, पाये जाने पर उनके निविदा को निरस्त कर दी जायेगी।
49. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार का कोई ओवर राइटिंग, कटिंग, संशोधन आदि नहीं होना चाहिए, पाये जाने पर संबंधित निविदादाता के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
50. तकनिकी निविदा में समर्पित दस्तावेजों पर निविदा समिति द्वारा निविदादाता से उठाये गये प्रश्न का संतोषप्रद जबाव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित निविदादाता को असफल घोषित कर दिया जायेगा।

51. तकनिकी रूप से सफल निविदादाता के वित्तीय निविदा में अगर एक से अधिक दुकाने हेतु दर अंकित की जाती है तो वैसी स्थिति में उनके निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
52. विवाद की स्थिति में प्रथम अपीलीय प्राधिकार, वन संरक्षक, पटना या वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ से न्याय प्राप्त किया जा सकता है।
53. राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये हस्ताक्षर का नमूना अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र में संलग्न करना होगा।
54. विशेष परिस्थिति में विवाद का न्याय क्षेत्र बिहारशरीफ न्यायालय होगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।
६/ ०५

इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित दुकान संचालन हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना
सं०-02/2025-26 का तकनीकी निविदा फार्म

1 निविदादाता / फर्म / संचालक का नाम एवं पूरा पता (ई-मेल, दूरभाष एवं मोबाईल नं० के साथ) :

.....
.....

2 निविदादाता / फर्म / संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता (ई-मेल, दूरभाष संख्या के साथ) :

.....
.....

3. निविदादाता/फर्म/कंपनी द्वारा समर्पित की जाने वाली निविदा का दुकान संख्या :

क्र	तकनीकी सूचना	निविदाकर्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। (नोटिस, अनु०-1 से अनु०-6 तक)		
2	निविदादाता का पहचान-पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण-पत्र स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।		
3	निविदादाता का निवास प्रमाण-पत्र की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।		
4	फर्म/कंपनी होने की स्थिति में certification of incorporation/partnership deed if applicable स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।		
5	फर्म होने की स्थिति में बिहार राज्य में कार्यालय स्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र, पंजीयन संख्या, किरायानामा, एकरारनामा की प्रति (यदि लागु हो तो)		
6	निविदा प्रपत्र क्रय के मनी रसीद/डी.डी. संख्या की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति या मूल्य- रसीद संलग्न करेंगे।		
7	Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदनाम से रु० 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) के अग्रधन राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।		
8	पैन/टैन के निबंधन एवं विगत दो वर्षों का (Financial Year 2022-23 एवं 2023-2024) आयकर रिटर्न की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।		
9	G.S.T से निबंधन एवं अद्यतन दो तिमाही (अक्टूबर से दिसम्बर एवं		

	जनवरी से मार्च) का स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति (यदि लागु हो तो)		
10	जी.एस.टी. पंजीकरण से छूट हेतु अनुलग्नक-02 के अनुसार जी.एस.टी. पंजीकृत नहीं होने का स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र की प्रति (यदि लागु हो तो)		
11	फर्म/कंपनी होने की स्थिति में पिछले दो वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24) के ऑडिटेड बैलेंस शीट/लाभ और हानि खाता विवरण की चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा निर्गत प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।		
12	फर्म/कंपनी होने की स्थिति में फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदा में फर्म का प्राधिकार-पत्र (भाग लेने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र नोटरी से प्राप्त) की मूलप्रति।		
15	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदादाता का नाम/फर्म दर्ज नहीं होने से संबंधित घोषणा-पत्र (100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्राप्त)। अनुलग्नक-03		
16	निविदादाता द्वारा स्व:घोषणा-पत्र अनु०-04 के अनुसार संलग्न		
17	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये हस्ताक्षर का नमूना संलग्न (अनु०-06)		

स्थान :

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांक:

पूरा नाम -

पता-

मोबाईल नं०:-

ई-मेल:-



इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित दुकान संचालन हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना
संख्या-02/2025-26 का वित्तीय निविदा फार्म

- 1 निविदादाता / फर्म / संचालक का नाम एवं पूरा पता (ई-मेल, दूरभाष एवं मोबाईल नं० के साथ)

.....
.....

- 2 निविदादाता / फर्म / संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता (ई-मेल, दूरभाष संख्या के साथ) :

.....
.....

- 3 दुकान उपयोग हेतु मासिक किराया दर —

क्र० सं०	दुकान (Shop) की संख्या	अर्पित किराया दर (प्रतिमाह)	अर्पित किराया दर प्रतिमाह (शब्दों में)
1			

आवश्यक सूचना :

- उपरोक्त तालिका में केवल एक ही दुकान का विवरणी अंकित करेंगे। एक से अधिक दुकान का नाम अंकित करने के स्थिति में क्रम संख्या 01 में अंकित दुकान ही मान्य होगा।
- वित्तीय निविदा का मूल्यांकन दुकान (Shop) के लिए अर्पित दर में जो भी अधिकतम होगा के आधार पर तय किया जाएगा।
- चयनित निविदादाता के द्वारा एक एकरारनामा हस्ताक्षरित करना होगा और उसमें दी गयी शर्तों का पालन करना होगा।
- निविदादाता द्वारा निविदा में अर्पित दर अगर आर०पी० दर से कम होता है तो निविदादाता द्वारा समर्पित दर मान्य नहीं होगा एवं उन्हें आर०पी० दर पर दुकान का संचालन करना होगा।
- एक ही दुकान के लिए, एक से अधिक निविदादाता द्वारा अर्पित दर समान/बराबर होने की स्थिति में उक्त दुकान हेतु निविदादाता द्वारा अर्पित दर को अमान्य मानते हुए उसी समय निलामी के आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा अधिकतम राशि देने वाले निविदादाता को दुकान संचालन हेतु हस्तगत करने की कार्यवाही की जायेगी।

स्थान :

दिनांक:

निविदादाता का हस्ताक्षर

पूरा नाम —

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ
अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-02/2025-26

LIST OF SHOPS

क्र० सं०	दुकान की संख्या	दुकान का क्षेत्रफल
1	Shop No. 18/IBS	Approx Size 97 Sqft

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-02/2025-26

**DECLARATION CUM UNDERTAKING FOR
PERSONS UNREGISTERED UNDER GST**

मैं पिता का नाम

ग्राम : पोस्ट: थाना :

जिला : घोषणा करता हूँ कि मैं केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 या 24 (ii)/(v) के अनुसार सामान्य करदाता या आकस्मिक/अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। इसके अलावा मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि जब भी मैं जीएसटी के तहत पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे, मैं पंजीकरण करवाकर सूचित करूंगा/करूँगी और उसके बाद जीएसटी कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सभी विपत्र जारी करूंगा/करूँगी।

निविदादाता का नाम :

पूरा पता :

तिथि :

✓

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-02/2025-26

DECLARATION CUM UNDERTAKING FOR
NOT DEBARRING/BLACKLISTING

मैं..... पिता का नाम

ग्राम : पोस्ट: थाना :

जिला : घोषणा करता हूँ कि मैंने

(विभाग/कार्यालय का नाम) में

दिनांक से अवधि तक के लिए दुकान/काउण्टर संचालन

का कार्य किया है/था तथा उस विभाग/कार्यालय अथवा किसी भी कार्य के लिए मुझे/मेरे संस्थान को

किसी सरकारी विभाग/कार्यालय द्वारा मुझे/मेरे संस्थान को कृष्णचिह्नित (Black Listed) किया/नहीं

किया गया है।

निविदादाता का नाम :

पूरा पता :

तिथि :

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-02/2025-26

UNDERTAKING REGARDING NON-COLLUSION AND ADHERENCE TO TENDER CONDITIONS FOR THE ALLOTMENT OF SHOPS

मैं पिता का नाम

ग्राम : पोस्ट: थाना :

जिला : पैन संख्या : घोषणा

करता/करती हूँ कि :

1. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि निविदा का दर, शर्त या निविदा प्रक्रिया के किसी अन्य पहलू के संबंध में मित्रों, परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति/निविदादाता के साथ, किसी भी प्रकार का परामर्श/समझौता किये बगैर स्वतंत्र रूप से अंकित किया गया है।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, मेरे किसी भी रिश्तेदार, मित्र या करीबी सहयोगी ने इस निविदा प्रक्रिया में किसी अन्य दुकान के लिए निविदा समर्पित नहीं की है। इस वचनबद्धता के उल्लंघन से मेरे द्वारा समर्पित निविदा को निविदा समिति द्वारा अयोग्य घोषित करते हुए मेरे विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे मैं सहमत हूँ।
3. मैंने निविदा की सभी शर्तों को पढ़ और समझ लिया हूँ। मैं निविदा के सभी शर्तों के पालन करने के लिए सहमत हूँ। मुझे यह भी ज्ञात है कि अगर मेरे द्वारा निविदा में समर्पित कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो मेरे द्वारा समर्पित निविदा को अस्वीकार किया जा सकती हैं एवं मुझे पक्ष में किया गया दुकान आवंटित पत्र रद्द किया जा सकता है।
4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि न तो मेरा, न ही मेरे साथ जुड़े किसी व्यक्ति या संस्था का, इस निविदा प्रक्रिया में शामिल विभाग/संगठन का नाम, या इसके संबद्ध निकायों के किसी भी वर्तमान या पूर्व कर्मचारी, अधिकारी या प्रतिनिधि के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने, सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से, विभाग/संगठन का नाम, या उसके सहयोगियों के साथ, वर्तमान में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने हाल ही में निविदा संचालन/निविदा में भाग लेने जैसे काम किया हो, का सहयोग इस निविदा की तैयारी/समर्पण हेतु नहीं लिया गया है।
6. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस निविदा प्रक्रिया में शामिल किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या प्रतिनिधि का कोई भी रिश्तेदार (पति/पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, बच्चे या ससुराल के लोग), से बिना किसी परामर्श/सहयोग के निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया है।
7. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने किसी भी स्टाफ सदस्य, पूर्व स्टाफ या विभाग/संगठन का नाम, के प्रतिनिधियों से कोई भी गैर-सार्वजनिक जानकारी नहीं मांगी गयी है, जिससे मुझे इस निविदा प्रक्रिया में अनुचित लाभ मिल सके।
8. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही मुझे नैतिक पतन या आर्थिक अपराध से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और मेरे खिलाफ कोई भी एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) पंजीकृत नहीं है। वर्तमान में अगर कोई घटना घटित होगी तो उसे मेरे द्वारा निविदा समिति को अवगत करा दिया जायेगा। मुझे यह ज्ञात है कि अपराधिक घटनाओं से संबंधित जानकारी छुपाने पर मेरे द्वारा समर्पित निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस घोषणा-पत्र में दी गई सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सटीक है। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत या जाली जानकारी को प्रस्तुत करने एवं किसी भी गलत जानकारी/सूचना के परिणामस्वरूप न केवल मेरे द्वारा समर्पित निविदा रद्द होगी, बल्कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की लागू धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

निविदादाता का नाम :

पूरा पता :

तिथि :

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-02/2025-26

NEW GENERAL TRADE

DISPLAY/SALE OF

1. Aerated Water, non-alcoholic beverages
2. Artwares
3. Books and Stationery including drawing instruments, rubber stamps, computer software.
4. Crockery and Utensils
5. Domestic Appliances and Gadgets
6. Electrical Goods/Radios
7. Furniture
8. General merchandise
9. Hats, caps, turbans including embroidery
10. Computer equipment, telecom equipment, electronic equipment
11. Ice, Ice cream, milk products.
12. Medicines, surgical, hospital equipment
13. Ornaments and jewellery
14. Photo and Mirror frames
15. Photographic goods
16. Provisions including toiletries
17. Readymade garments, fabrics, textiles , hosiery goods
18. Sports goods, musical instruments
19. Sewing machine
20. suitcase, boxes
21. Seeds, flowers, plants
22. Shoes and leather goods
23. Audio visual media including cassettes, CDs, DVDs, Films, Tapes, Records.

PROFESSIONALS :

24. Architects
25. Barbers
26. Doctors
27. Photographers
28. Opticians
29. Pen repairers
30. Tailors
31. Watch repairers
32. Travel agents, tour operators
33. Computer Service, networking service, business services, software services, Internet services, cyber cafes
34. Accountants, Auditors, Lawyers, Management Consultants, Consulting service
35. Medical Laboratories, Diagnostic Centres

MANUFACTURE/MANUFACTURE AND SALE OF

36. Aerated water
37. Artificial teeth
38. Artwares
39. Bomboo and cane products

- 
- 40. Ban, Charpai and ropes
 - 41. Card board and paper products
 - 42. Cotton and silk cordages
 - 43. Dolls
 - 44. Educational and school drawing instruments
 - 45. Embroidered valvet shoes
 - 46. Furniture
 - 47. Gold and silver foil-zari work
 - 48. Hats, caps, turbans including embroideries
 - 49. Hosiery including knitted garments
 - 50. Ice, Ice-cream and Cremary
 - 51. Iron buckets and tubs
 - 52. Ink
 - 53. Jewellery ornaments
 - 54. Lacker work bangles
 - 55. Musical instruments
 - 56. Photo and Mirror frames
 - 57. Photographic goods
 - 58. Radio assembling & Parts (small scale)
 - 59. Rubber Stamps
 - 60. Scent
 - 61. Sewing machines, assembling and repair
 - 62. Small domestic appliances and gadgets
 - 63. Shoes
 - 64. Steel wire products
 - 65. Suit cases and boxes
 - 66. Sports goods 71. Trunks

PROCESSING

- 72. Book binding, embossing
- 73. cycle repair
- 74. Electroplating
- 75. Fruit preservation
- 76. General jobing and machine shops including grinding and drilling machines and welding
- 77. Handlooms
- 78. Ivory carving
- 79. Metal polishing
- 80. Oil expeller (Kohlu)
- 81. Optical lens grinding, watch and pen repairing
- 82. Painting including sign boards printing
- 83. Stone repairs
- 84. Tin repairing

MISCELLANEOUS

- 85. Iron and steel merchants
 - 86. Motor/Scooter/Tractor/Engine/Pump show rooms
 - 87. Printing Press, Photocopying, Reprographics
 - 88. Computer Training Centres and Academic Coaching Centres
 - 89. Entertainment Centres, Video Game Parlours, Indoor Games
 - 90. Fitness Centres, Health Centres, Indoor Gymnasiums
 - 91. Lodging House, Guest House, Hotel
 - 92. Banks, Financial Services, Stock Brokers, Mutual Funds
 - 93. Telecom Call Centres, Mobile Telephone Services and Centres
- 

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-02/2025-26

GAZETTED OFFICER ATTESTATION FORM
FOR TENDER SUBMISSION

1. Tender Notice No.: _____
2. Date of Issue: _____
3. Name of Tenderer (Individual/Firm): _____
4. Tenderer's Address: _____

5. Signature of the Tenderer: _____

(To be signed in the presence of the Gazetted Officer)

6. Attestation by Gazetted Officer

I, the undersigned Gazetted Officer, hereby attest that the signature of the tenderer named above was signed in my presence and is verified for authenticity.

Gazetted Officer's Information:

- Name: _____

- Designation: _____

- Office Address: _____

- Contact Number: _____ Email ID (Official): _____

Signature of the Gazetted Officer: _____

Date: _____

7. Official Seal of the Gazetted Officer
(Please affix the official seal below)